



2026:AHC:26794

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 4808/2026

टेकारी

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अमित कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से स्वयं को पीड़ित महसूस करता है, तो उसे इस आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मऊ को निर्देश दिया जाए कि वे वाद संख्या 08394/2018 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी201815510108394) (शनिचरी बनाम धीरज एवं अन्य) का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करें।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस चरण पर, उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उचित और उपयुक्त होगा, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित प्राधिकारी को उसका निस्तारण एक समय-सीमा के भीतर, विधि के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए करना होगा। उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7),
“(7). तहसीलदार, नामान्तरण के निर्विवाद मामलों का निर्णय, मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेंगे, और नामान्तरण के विवादित मामलों का निर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर करेंगे; और यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।”
5. उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी, और पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में, प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मऊ को यह निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त आवेदन को लें और उसका निस्तारण, कानून के पूर्णतः अनुरूप तथा उसके गुण-दोष के आधार पर, अत्यंत शीघ्रता से करें; और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर ऐसा करें, किंतु बिना किसी अनावश्यक स्थगन के—जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विरोधी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।)

6 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"